स.7(80)/2014-एनआरएचएम-I

भारत सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

****

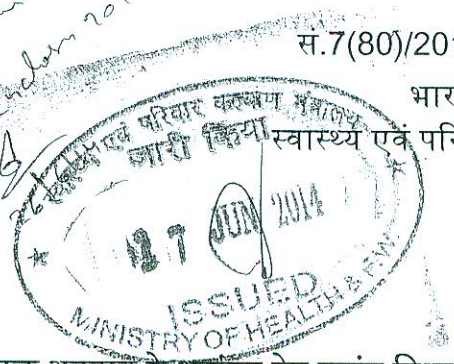

नई दिल्ली, निर्माण भवन

दिनांक: 24 जून, 2014

विषयः मुक्त अनुदान के आबंटन हेतु दृष्टांत दिशा-निर्देशों के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को दिनांक 17 जनवरी, 2014 के कार्यालय ज्ञापन संख्या पी. 1701817018/49/2013-एन आर एच एम -IV का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों को प्रदान किए गए तीनो अनुदानों को एक एकल मुक्त अनुदान में शामिल करने हेतु विलयन करने, सीएचसी एवं उसके समकक्ष और जिला अस्पताल को मुक्त अनुदान में और संशोधन करने तथा मरीजों की संख्या, निधि उपयोगिता और सेवा प्रदानगी पर आधारित अंतर संबंधी आबंटन करने के सम्बंध में मिशन संचालन समूह के अनुमोदन से अवगत करा दिया गया था।

2. इस संबंध में, सार्वजनिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य केंद्रों को मुक्त अनुदान के आबंटन हेतु दृष्टांत दिशा-निर्देश संलग्न हैं।

अनुलग्नकः यथोपरि

(लिमातुला यादेन)
निदेशक (एनएचएम-I)
दूरभाषः 011-23061360

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)
[मुख्य सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)]

प्रतिलिपि प्रेषितः

(1) प्रबंधक निदेशक (एनएचएम) [सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र]
(2) संयुक्त सचिव (आरसीएच)/संयुक्त सचिव (सार्वजनिक स्वास्थ्य)/संयुक्त सचिव (एनयूएचएम)
(3) कार्यकारी निदेशक, एनएचएसआरसी
(4) सभी उपायुक्त (आरसीएच प्रभाग)
(5) निदेशक (पीपी)/निदेशक (आरसीडी)/निदेशक (के.सी.)/निदेशक (के.एस.)/ निदेशक (आरसीएच) को, सभी परामर्शदाताओं से साझा करने के लिए।
(6) पीपीएस, एएस एंड एमडी
(7) पीपीएस, संयुक्त सचिव (पी.)

सार्वजनिक स्वास्थ्य केन्द्रों को मुक्त अनुदान के आबंटन हेतु दृष्टांत दिशा निर्देश–
(प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं समकक्ष केन्द्र तथा जिला अस्पताल)

1. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन संचालन समूह ने दिनांक 6 दिसंबर, 2013 को आयोजित अपनी पहली बैठक में स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रदत्त तीन अनुदानों, अर्थात मुक्त अनुदान, आरकेएस पूंजी अनुदान तथा वार्षिक अनुरक्षण अनुदान को आमेलित करके एकल मुक्त अनुदान को मंजूरी दी ताकि स्वास्थ्य केन्द्रों को अतिरिक्त स्वतंत्रता प्रदान की जा सके जिससे उन मदों की आवश्यकता के आधार पर व्यय की वरियता का निर्धारण किया जा सके जो कि तीन अलग-अलग अनुदान के अंतर्गत शामिल हैं, और इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों (एवं समकक्ष केन्द्रों) हेतु मुक्त निधि को 2.5 लाख रु. से बढ़ाकर 5 लाख रु. तथा जिला अस्पतालों की मुक्त निधि को 5 लाख रु. से बढ़ाकर 10 लाख रु. किया जा सके। एम एस जी ने इसके अतिरिक्त निर्णय लिया है कि:

   (i) राज्य और जिलों को वार्षिक आबंटन वास्तविक उपयोग पर ही आधारित रहना चाहिए तथा वार्षिक मुक्त अनुदान निधि उपयोग के स्तर तक बढ़ाया जाएगा।
   (ii) प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र, अपनी हकदारी के 50% तक का सुनिश्चित रूप से नियत चर राशि प्राप्त करेगा और शेष 50% को पूल किया जाएगा तथा डीएचएस/एसएचएस द्वारा समान स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों को आबंटित किया जाएगा।
   (iii) राज्य स्वास्थ्य समितियों तथा जिला स्वास्थ्य समितियों से यह उम्मीद की जाती है कि वे मरीजों की संख्या, निधि उपयोग आदि आधार पर स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रभावनीय आबंटन करें। विभिन्न स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों (एससी/पीएचसी/सीएचसी/डीएच) हेतु राज्य सरकार से एक अनिवार्य स्वास्थ्य पैकेज की घोषणा करने और उसे प्रदान करना सुनिश्चित करने की अपेक्षा है।
   (iv) निर्माण कार्य पर पूल में आबंटित निधि के 50 प्रतिशत से अधिक व्यय नहीं किया जाना चाहिए।

यह भी निर्णय किया गया था कि भारत सरकार को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझावपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करना चाहिए कि समान स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों के बीच संसाधनों का आबंटन किस प्रकार किया जाए। तदनुसार, ये दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं और उदारहण/दृष्टांतों के माध्यम से इसकी व्याख्या की गई है ।

2. मरीजों की संख्या और सेवाओं के प्रकार के तार्किक सिद्धांत के आधार पर प्रत्येक स्वास्थ्य केन्द्र, अपनी हकदारी के 50% तक का सुनिश्चित रूप से नियत चर राशि प्राप्त करेगा और शेष 50% को डीएचएस/एसएचएस द्वारा समान स्तर के स्वास्थ्य केन्द्रों को आबंटित किया जाएगा।

दृष्टांत :

(i) जिले में स्थित प्रत्येक पीएचसी को निर्धारित हकदारी की 50 प्रतिशत अर्थात 87,500 तक की चर राशि प्राप्त होगी ।
(ii) जिले में स्थित प्रत्येक सीएचसी (और समकक्ष) को निर्धारित हकदारी की 50 प्रतिशत अर्थात् 2.50 लाख रुपये तक की चर राशि प्राप्त होगी।
(iii) प्रत्येक जिला अस्पताल को निर्धारित हकदारी की 50 प्रतिशत अर्थात् 5.0 लाख रुपये तक की चर राशि प्राप्त होगी।